

उत्तराखण्ड शासन
रोजगार सृजन, कौशल विकास,
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या- /VIII / 17-70(श्रम) / 2001
देहरादून, दिनांक 03 अगस्त, 2017
अधिसूचना

महानिबन्धक, मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-3517 / XIII-F-1/Admin.A / 2010, दिनांक 03.08.2017 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उ.प्र. अधिनियम संख्या: 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली, 1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) सपठित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 89 के द्वारा उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु श्री जी० एस० धर्मशक्तू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी को श्रम न्यायालय, हरिद्वार में पीठासीन अधिकारी के रूप में मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस सीमा तक अधिसूचना सं०- 589 / VIII / 16-70(श्रम) / 2001 TC, दिनांक 04.05.2016 संशोधित समझी जायेगी।

|
(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या 1206 (1) / VIII / 17-70(श्रम) / 2001, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र सं०- 3517 / XIII-F-1/Admin.A / 2010, दिनांक 03.08.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- महाधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5- पीठासीन अधिकारी, हरिद्वार।
- 6- जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी।
- 8- श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 9- संबंधित जनपदों के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10- प्रभारी एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- ✓ 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।